राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहनलाल बनाम मुन्नी देवी 859/2018, 358/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 37/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2018 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 859/2018 व 358/2020 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 11/05/2026 को पेश हो		
11/05/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि मुन्नी देवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 6999 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाके कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी भूमि की एकमात्र मालिक, स्वामिनी व खातेदार काश्तकार वादिनी ही है, जिसे ही उक्त आराजी भूमि को अपने उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में लेने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है, इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण, वादिनी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग, निर्माण इत्यादि में बाधा उत्पन्न कर रहे है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि उक्त आराजी भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग, निर्माण इत्यादि में बाधा व मजाहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करें व ना ही किसी अन्य से करावे तथा मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनायी रखे | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये	तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट आमेर में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2018 पारित करते हुये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया	जिससे व्यथित होकर निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2018 के विरुद्ध अपील संख्या 859/2018 व 358/2020 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमे अपील संख्या 358/2020 के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद भी प्रस्तुत किया गया	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है	अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है	निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया	धारा-5 के सन्दर्भ में उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	859/2018, 358/2020 मोहनलाल बनाम मुन्नी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली का अवलोकन किये जाने से प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है | अत: अपील संख्या 358/2020 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है | तत्पश्चात दोनों अपीलों के गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को दिनांक 30/06/2018 को कैम्प कोर्ट आमे में नियत कर पक्षकारान की अनुपस्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एवं विधिक प्रक्रियाओ व प्रावधानों की अनदेखी कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | क़ानूनी प्रावधानों के तहत पक्षकारान की सुनवाई कर उद्धरित तथ्यों का विवेचन करते हुये निर्णय किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2018 में विधिक त्रुटी जाहिर होने से उन्हें निरस्त किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत विवेचनात्मक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार दोनों अपीले क्रमश 859/2018 व 358/2020 निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 11/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |